पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

01C

क्रमांक : 809 /अका./सम्बद्धता/2014 रायपुर, दिनांक 23/07/2014

|| आदेश ||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11.07.2014 की अनुशंसा का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.07.2014 के निर्णयानुसार **रवि शंकर ग्लोबल एजुकेशन कालेज, प्लाट नं. 131/9–10–1, ग्राम–धनेली, पोस्ट–माना, तह.–धरसीवा, जिला–रायपुर 492015**, को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:–

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	1. B.Ed.	100	2014–15

शर्तें :–

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.07.2014 के निर्णयानुसार परिनियम 27 एवं 28 के अतंर्गत प्रत्येक बिंदुओं की पूर्ति के संबंध में पुनः निरीक्षण समिति गठित की जाती है, जिसकी सूचना महाविद्यालय को पृथक से दी जावेगी ।
02. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
04. NCTE के मान्यता आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन करगें।
05. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
06. आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर इण्डोमेंट फण्ड हेतु रू. 35,00,000/– (पैंतीस लाख रूपए) कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की छायाप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेगें ।
07. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
08. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है एवं पुनः उपरोक्त बिंदुओं का नये निरीक्षण समिति से भौतिक सत्यापन कराऐं । **निरीक्षण समिति के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।**
09. परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति **30 सितंबर 2014** तक पूर्ण करें।
10. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 810 /अका./सम्बद्धता/2014 रायपुर, दिनांक 23/07/2014

प्रतिलिपि :–

01. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् पश्चिम क्षेत्रीय समिति, भोपाल(म.प्र.) को मान्यता आदेश F.No. WRC/APP1330/202nd/ B.Ed./2014/115843 dated 01-03-2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।
02. संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
04. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
05. अध्यक्ष, श्री रावतपुरा धाम, ग्राम–धनेली, जिला–रायपुर को उनके आवेदन के संदर्भ में सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
06. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
07. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
08. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
09. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
10. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप कुलसचिव (अका.)